न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—233/2015/223 (2015/00260)

1. दौलतसिंह पुत्र किशनसिंह पुत्र मेन्दूसिंह,
2. हीरासिंह पुत्र किशनसिंह पुत्र मेन्दूसिंह,
3. प्रतापसिंह पुत्र मेन्दूसिंह,
4. आनंदसिंह पुत्र मेन्दूसिंह,
5. अमरसिंह पुत्र लाडूसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम अमरपुरा, पोस्ट किशनपुरा, तह0ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पूरा पुत्र नौला, जाति रैदास, निवासी ग्राम अमरपुरा, तह0 ब्यावर जिला अजमेर हाज मुकाम इन्द्रा कॉलोनी, इन्द्रा नगर, मसूदा रोड़, ब्यावर जिला अजमेर ।
2. किशनलाल पुत्र रामसुख, जाति रेगर, निवासी देवनारायण कॉलोनी, चूंगी नाका के पास, भोजपुरा, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय, ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं लैण्ड हौल्डर, ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 12.11.2012 अंतर्गत वाद संख्या 7/2012.

उपस्थितः—

1. श्री जमील जई, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सोहनपालसिंह चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 से 5.

निर्णय

दिनांकः— 24.07.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 373/1 एवं 374 मौजा ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का कालीकांकर, तह0 ब्यावर अवस्थित है जिसे वादीगण के पूर्वजों को प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 28.3.1974 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र मेंदूसिंह व लाडूसिंह पुत्रान बहादुरसिंह,

जाति रावत, निवासी अमरपुरा के हक में पजीबद्ध कराते हुए अपीलांटस के पूर्वजों को कब्जा संभलाकर भूमि से अपने अधिकार समाप्त कर लिये जिस पर अपीलांटस द्वारा समय–समय पर भूमि की तरक्की व सुधार हेतु करीबन 6 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है । किन्तु प्रत्यर्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आने का फायदा उठाकर उसने भूमि का पुनः बैचान प्रत्यर्थी संख्या 2/रेस्पो0 संख्या 2 के हक में दिनांक 4.2.2011 को कर दिया । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वादीगण का वाद निरस्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.2012 द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस/वादीगण का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का अपीलाधीन निर्णय इस बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को बिना परिशीलन व तनकियात कायम कर मात्र उक्त प्रार्थना पत्र को यथावत् स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने दीवानी प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट उपबंधित विधिक प्रावधानों की ओर कोई गौर नहीं कर रेस्पो0 को नोटिस तामील होने के बावजूद 90 दिन की समयावधि गुजरने के पश्चात् भी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया न ही इस बाबत् 30 दिन के पश्चात् जवाबदावा पेश करने हेतु समय बढाये जाने का ही प्रार्थना पत्र पेश किया इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 के विरूद्ध कोई कार्यवाही न कर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रथमतः तो पोषणीय ही नहीं था क्योंकि जब तक केस की मेरिट न्यायालय द्वारा नहीं देख ली जाती उससे पूर्व वाद का विधिविरूद्ध रूप खारिज किया जाकर निर्णय पारित नही किया जा सकता है । बहस में आगे कथन किया कि वाद राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार थी जिसे बगैर सुने एवं उसका जवाब रिकार्ड पर लिये बिना अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भूल की है। अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने जो अनुतोष चाहा उसमें धारा 42–बी राज0काश्त0अधि0 बाबत् कोई जिक्र नहीं था, वादी को जो वादकारण उत्पन्न हुआ वह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को पुनः भूमि का हस्तातंरण कर देने से हुआ था । रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रतिउत्तर प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण/अपीलांटस को भूमि का बेचान किये जाने के पश्चात् पुनः भूमि का बेचान किये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को लंबे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए मान0 उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त हुई है जबकि प्रकरण विचाराधीन है । जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है जिसके बाबत् वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात विक्रय पत्र प्रस्तुत किये गये

जिन पर अधी0न्याया0 ने कोई गौर नहीं कर केवल मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के प्रार्थी के 30 वर्ष पुराने पंजीबद्ध विक्रय पत्र को शून्यकरणीय मान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना स्वीकार किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अतिरिक्त कथन में डॉक्टरीन ऑफ वेव के सिद्धांत पर प्रतिवादी किसी भी प्रकार से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है क्योंकि वह अपने हक सन् 1071 में ही वादीगण/अपीलांटस के पक्ष में त्याग कर चुका है और पुनः भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में नहीं कर सकता था । अधी0न्याया0 ने वाद का गुणावगुण पर निर्णय पारित न कर तकनीकी आधार पर निर्णय पारित किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2012 एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम अपने अभिभाषक से अपने दावे की प्रगति बाबत् जानकारी हेतु उपस्थित होने पर हुई तत्पश्चात् दिनांक 16.11.2012 को अधिवक्ता द्वारा नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादीगण/अपीलांटस के पूर्वज ने प्रतिवादी संख्या 1 के फर्जी हस्ताक्षर करके विवादित आरायिजात की फर्जी रजिस्ट्री दिनांक 29.3.1974 ाके अपने नाम करवा ली थी जबकि अपीलांट तत्समय स्वर्ण जाति के व्यक्ति थे जबकि प्रतिवादी संख्या 1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है । कानूनन अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि स्वर्ण जाति का व्यक्ति क्रय नहीं कर सकता है । अपीलांट के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित फर्जी तथाकथित विक्रय पत्र प्रारंभ से शून्य एवं अवैध है जिसके आधार पर अपीलांटस/वादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलांटस/वादीगण का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अपीलांटस के पूर्वज लाडूसिंह पुत्र बहादुरसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र आराजी संख्या 373 व 374 दिनांक 29.3.1974 को क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया था किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त विक्रय पत्र की पालना में अमल दरामद नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त इंद्राज का नाजायज फायदा उठाकर विवादित आराजियात को पुनः रेस्पो0 संख्या 2 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बैचान कर दी है । रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में किया गया विक्रय

पत्र पश्चात्वर्ती विक्रय होने से प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 पूरा पुत्र नौला जाति रेगर विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति का है जबकि अपीलांटस के पूर्वज लाडूसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति रावत होकर स्वर्ण जाति का व्यक्ति है । राज0काश्त0अधि0 की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजियात स्वर्ण जाति का व्यक्ति क्रय नहीं कर सकता है और यदि करता है तो ऐसा विक्रय प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि धारा 42 के सिद्धांतों व धारा 42–ख के प्रावधानों के अनुसार अनूसूचित जाति के सदस्य द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किया गया अन्तरण प्रारंभ से शून्य है । अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद धारा 42 राज0काश्त0अधि0 का उल्लघंन होने से प्रारंभिक स्तर पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2012 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर